

प्रेसनोट दिनांक 14.02.2021

- दिनांक 13.02.21 को वादी उ०नि० श्री जगन्नाथ मणि त्रिपाठी थाना को०नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1.गुड्डू निषाद पुत्र अनन्तराम नि० हाजीसिंहपुर धर्मापुर थाना कैण्ट अयोध्या
- सोनू पाण्डेय पुत्र मनोज पाण्डेय नि० सरियांवा थाना पूराकलन्दर अयोध्या **दोनो गिर०** अभि० गण के कब्जे से चोरी की 08 अदद मो०सा० बरामदगी का विवरण-01. हीरो स्पेलेण्डर चेचिस नं० 65710 इंजन नं० 65180 वास्तविक नं० UP42AK 6594 2-पैशन प्रो बिना नम्बर चेचिस नं० MBLHA1013 इंजन नं० 57562 03. हीरो होण्डा सीडी डिलक्स UP 42 Q 5934 04. हीरो स्पेलेण्डर चेचिस नं० 06150 इंजन नं० 26372 वास्तविक नं० UP 42 X 0243 05. हीरो होण्डा साइन मैक्स नं० UP 53 AB 8944 06. टी०वी०एस० स्पोर्ट नं० UP 42 AW 6481 07. स्पेलेण्डर प्लस नं० UP 53 AP 8584 08. टी०वी०एस० विक्टर नं० UP 44 F 4321 बरामद होना जिनमें से कुछ के नम्बर प्लेट बदले हुए हैं। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 101/21 धारा 411, 420, 467, 468, 471 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 13.02.21 को वादी श्री अनुपम चौधरी पुत्र स्व० राममिलन चौधरी नि० मउ यदुवेशपुर थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं० यूपी 42 बीबी 6055 स्कूटी का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादी के पिता के को टक्कर मार देना जिससे दौरान इलाज पिता की मृत्यु हो जाना जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 70/21 धारा 279, 304ए, भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 13.02.21 को वादी उ०नि० श्री विवेक कुमार सिंह थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि नरसिंह मांझी पुत्र जगदम्बा नि० गोडियाना तिहुरा मांझा थाना को०अयोध्या अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 20 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 65/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 13.02.21 को वादी श्री राम सुरेश लेखपाल क्षेत्र जयनपुर तहसील सोहावल अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामकुमार पुत्र राम खेलावन नि० जयनपुर थाना रौनाही अयोध्या अभि० द्वारा बिना अनुमति के बिलायती सिंघोर का पेड काट कर बेच देना जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 69/21 धारा 4/10 वन संरक्षण अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 13.02.21 को वादी श्री मनो कुमार पुत्र रामअवध नि० सखनपुर थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात वाहन चालक वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादी के पिता के को टक्कर मार देना जिससे इलाज के लिए जाते समय पिता की मृत्यु हो जाना जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 20/21 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 13.02.21 को वादी उ०नि० श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शिव प्रसाद पुत्र रतिपाल नि० रेछ थाना मवई अयोध्या **गिर०** अभि० के कब्जे से 20 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 35/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 13.02.21 को वादी श्री मो० फहद पुत्र स्व० मसीउद्दीन नि० करौदी थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं० युपी 51 एटी 7790 मिनी बस का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादी के पिता के साइकिल में टक्कर मार देना जिससे दौरान इलाज पिता की मृत्यु हो जाना व साइकिल क्षतिग्रस्त हो जाना जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 27/21 धारा 279, 304ए, 427, भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।